संख्या-256/2019/5225/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर 2019

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 26 जनवरी 2020 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान जनपद लखनऊ में छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित करने तथा जनपदों में समारोह आयोजित करने हेतु धनावंटन किये जाने पर वित्तीय अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3548/स0क0/शिक्षा-अ/3/140/ 2019-20, दिनांक-19.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 26 जनवरी, 2020 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, जनपद लखनऊ में छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित करने तथा जनपदों में समारोह आयोजित करने हेतु धनावंटन किये जाने पर वित्तीय अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26 जनवरी 2020 को जनपद-लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह आयोजन हेतु अनुमति प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश के अन्य 74 जनपदों में छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किये जाने हेतु वर्ष 2019-20 में छात्रवृत्ति कम्प्यूटरीकरण एवं अनुश्रवण योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के मानक मद-42 से निम्नानुसार धनावंटन/व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1- 74 जनपद-रू0-50,000/-प्रति जनपद।

2- जनपद-लखनऊ में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह आयोजन हेतु अधिकतम रू0-35,00,000/-।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या-256/2019/5225(1)/26-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय,समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in